

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 07/2019

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	81	3959	576	473	1910	6999	403
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	53	3724	554	469	1838	6638	388
3	कुल अवशेष वाद	28	235	22	4	72	361	15
4	आवश्यकता नहीं	16	98	2	2	25	143	1
5	अवशेष वाद	12	137	20	2	47	218	14

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 07/2019

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सिविल संगठन																				
1	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	6	5		1	550	517	21	12	80	79	1	0	31	31			318	315	1	2
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	4	4			328	309	19	0	51	51	0		14	14			350	345	5	
3	मु०अ०, गंगा, मेरठ	7	6	1		232	225	7	0	16	15	1		10	10			205	205	-	-
4	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3			193	185	8		48	45	3		91	89	2		127	126	1	
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	3	3			187	181	5	1	34	30	2	2	37	37	-		37	36	1	-
6	मु०अ०, यमुना ओखला, नई दिल्ली	20	17	3	0	182	171	11	0	15	14	1	-	6	6	-	-	171	164	7	-
7	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	2	1	1		164	148	6	10	29	27	2		35	35	0	0	111	107	3	1
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	3	1	2		164	161	3	0	44	44	0		36	36	0		168	160	8	0
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	1	1			116	105	11		11	11	-		26	26	-		43	40	3	-
10	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	1	0	-	1	115	93	7	15	11	11	0		26	26			61	40	4	17
11	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	0	0			103	103	-		10	10	0		30	30			40	39	1	
12	मु०अ०, पूर्वागंगा, मुरादाबाद	2	2			94	86	1	7	13	13	0	0	2	2			46	44	2	
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	4	1	3		65	63	2		20	18	2		7	7	0		55	48	7	
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	1	1			42	37	5	-	6	5	1		2	2			21	19	2	
15	मु०अ०, कनहर, मिर्जापुर		-	-	-	31	24	7	-	2	2			0	0	-	-	2	2	-	
16	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	21	17	4		2	2			1	1						
17	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	0	-	0	-	19	19	0		22	19	3									
18	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ					19	19	-		3	3			4	4			-	-	-	
19	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	-	-	-	-	11	10	0	1	5	5			1	1			4	4		
20	मु०अ०, अनु० एवं० नियो०, अयोध्या	-	-	-	-	7	7	0		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं० नियो०, अलीगढ़	-	-	-	-	6	5	1	-	5	5	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु०एवं० नियो०(बाढ़) लखनऊ	-	-	-	-	4	3	1		1	1							1	1		
23	नि०उ०प्र०जलएवं भू०प्र०सं०लखनऊ					4	2		2												
24	मु०अ०, आई०एस०ओ०, लखनऊ					2	2														
25	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	1	1	0		2	2		0					0	0		

26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	57	45	10	2	2660	2493	119	48	431	412	17	2	365	363	2	0	1760	1695	45	20
	यांत्रिक संगठन																				
	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	3	2	1	-	346	338	6	2	26	26	0	0	24	24	-	-	44	43	1	-
1	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	5	4	1	-	307	304	3	-	33	33	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
3	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	297	294	3	-	39	38	1	-	30	30	-	-	30	30	0	-
4	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	3	1	0	2	252	221	6	25	39	38	1	-	23	23	0	-	31	27	1	3
5	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	12	0	-	12	97	74	0	23	8	7	1	-	22	20	0	2	9	7	-	2
	योग	24	8	2	14	1299	1231	18	50	145	142	3	0	108	106	0	2	150	143	2	5
	महायोग	81	53	12	16	3959	3724	137	98	576	554	20	2	473	469	2	2	1910	1838	47	25

कुल लम्बित वाद- 6999

प्रतिशपथ दाखिल- 6638

अवशेष- 218

आवश्यकता नहीं- 143

प्रतिहस्ताक्षरित

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिसासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	0	0	0	0	206	202	3	1	59	49	10	0	2	2	0	0	11	11	0	0
	यांत्रिक संगठन																				
1	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-			34	34		-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	26	25	1	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	22	22	-	-	3	3	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	0	-	-	-	13	13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	12	12		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	योग	0	0	0	0	107	106	1	0	17	17	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	महायोग	0	0	0	0	313	308	4	1	76	66	10	0	2	2	0	0	12	12	0	0

कुल लम्बित वाद – 403

प्रतिशपथ-पत्र
दाखिल-

388

अवशेष 14

आवश्यकता नहीं – 1

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

21	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	8	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	
22	मु0अ0, अनु0एवं नियो0(बाढ) लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	
23	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	1	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-	
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	3	3	3	0	0	0		0	-	-	-	
26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	390	352	303	49	44	5	-	-	0	-	-	
28	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	443	62	33	29	6	1	0	-	-	-	-	
29	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	518	120	70	50	46	0	2	2	0	-	-	
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	348	38	14	24	14	1	3	4	1	-	1	
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	180	46	1	45	24	12	2	0	1	6	-	
	योग	3647	1200	879	321	170	20	7	11	10	0	12	1

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० स०	माह जनवरी 2012 से माह जुलाई-2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह जुलाई-2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1399	1067	2466	1274	958	2232	102	39	141	23 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 71 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 23+70= 93

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ०प्र०, शासन
 मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
 विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ०प्र०, शासन

क्र० सं०	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह जुलाई 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह जुलाई 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											10
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	20	21	1	19	20	0	1	1	
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	4	4	0	3	3	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह० सहा० परियोजना, लखनऊ	3	7	10	3	5	8	0	0	0	02 वाद में सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	81	25	106	70	24	94	11	1	12	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07 + 56=63)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-
9	सरयू-प्रथम, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1-02 वाद में सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।

10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	82	13	95	70	13	83	1	0	1	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 11 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	91	11	102	81	10	91	10	1	11	-
12	जल संसाधन लखनऊ	2	3	5	2	3	5	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	शारदा बरेली	38	129	167	37	124	161	1	4	5	एक वाद में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा लोक निर्माण विभाग को क्रियावयन हेतु आदेश पारित करते हुए दिनांक 30.11.2018 को डिस्पोज कर दिया गया। अतः सी0 ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
15	बाणसागर, प्रयागराज	19	3	22	14	3	17	5	0	5	
16	सोन वाराणसी	181	5	186	159	5	164	22	0	22	-
17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	20	32	52	18	32	50	2	0	2	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	-
19	गंगा, मेरठ	14	0	14	0	0	0	14	0	14	-
20	कनहर, मिर्जापुर	20	1	21	13	1	14	7	0	7	-
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 05/2019 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य है।
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	95	157	252	90	156	246	5	1	6	-
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	137	90	227	134	87	221	3	3	6	
27	नलकूप, वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	-
28	नलकूप, पूर्व अयोध्या	32	123	155	27	120	147	5	3	8	-
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	27	18	45	26	15	41	1	0	1	मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में 03 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	1399	1067	2466	1274	958	2232	102	39	141	23 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 70 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 23+70=93

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियनता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

मासिक सूचना

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 07/2019

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता (राम गंगा), कानपुर	0	2	2	0	0	4
2	मुख्य अभियन्ता सरयू-प्रथम अयोध्या	0	1	0	0	0	1
3	मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	0	3	0	0	3
5	मुख्य अभियन्ता (शारदा) बरेली	0	0	3	0	0	3
6	मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर	0	0	1	0	0	1
7	मुख्य अभियन्ता सरयू द्वितीय गोण्डा	0	0	1	0	0	1
योग		0	4	10	0	0	14

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 07/2019 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर।									
1	सिंचाई कार्य मण्डल कानपुर	नोटिस सं०-1963/2019	शफुद्दीन खॉ	श्री राजेश मिश्रा व सरकार	-	सेवा सम्बन्धी	-	अवमानना नोटिस संख्या 1963/2019 शफुद्दीन खॉ बनाम श्री राजेश मिश्रा व सरकार में सुनवाई की तिथि 30.04.2019 निर्धारित थी। शासकीय अनुमति दिनांक-23.04.2019 को प्राप्त हुई है तदनुसार प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।	सेवा सम्बन्धी
2	अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल कानपुर	सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-32870/2018	श्रीमती संगीता चढढा	श्री टी० वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई	-	मुआवजा सम्बन्धी	-	श्री टी० वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई में शासकीय अनुमति हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्रेषित किया गया था जिसमें शासन द्वारा कुछ सूचना की वांछना की गयी है। तहसील/जिला स्तर से सूचना प्राप्त कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।	-
मुख्य अभियन्ता सरयू-प्रथम, अयोध्या।									
3	सरयू नहर खण्ड-7, बहराइच।	2635/सी/2018	श्री चन्द्रिका प्रसाद	श्री रमेश चन्द्र, अधि०अभि० सनख-7, बहराइच	-	-	-	प्रत्यावेदन निस्तारित कर अनुपालन आख्या दाखिल।	-
मुख्य अभियन्ता नलकूप मध्य लखनऊ									
4	नलकूप खण्ड रायबरेली	1160/19	राम अधीन व अन्य	श्री टी० वैकटेश प्रमुख सचिव	6413/एसएस/2010	मा० न्यायालय के आदेश दिनांक-23.01.2019 द्वारा विनियमितीकरण	-	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध विशेष अपील दिनांक-11.07.2019 को योजित की गई थी जो दिनांक-18.07.2019 को खारिज कर दी गई। अवमाननावाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश मा० उच्च द्वारा अभी नहीं दिये गये हैं। अगली सुनवाई तिथि 22.08.2019 निर्धारित है।	
मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	—	अवमाननावाद संख्या-32/2017 शिवदास बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-678/27-6-19-01, निया/15 दिनांक-18.02.2019 द्वारा दण्डादेश समाप्त कर दिया गया है। देयकों के भुगतान हेतु संबंधित खण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-565/दिनांक-03.05.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-02, सिंचाई कालोनी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, गोण्डा को लिखा गया था। मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-2, ने शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक-18.02.2019 के क्रम में श्री शिवदास, तत्कालीन सहायक अभियन्ता का वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया है तथा अवगत कराया है कि श्री शिवदास को अनन्तिम पेंशन का भुगतान नियमित रूप से कोषागार, गोण्डा द्वारा कराया जा रहा है।	
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	59/2018	रामसेवक, वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य	572/2012	वैयक्तिक वेतनमान के सम्बन्ध में।		अवमाननावाद संख्या-59/2018 रामसेवक बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश के क्रम में भुगतान की कार्यवाही की जानी है। श्री राम सेवक सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण स्वीकृतोपरान्त वेतन निर्धारित कर अवशेष एरियर का भुगतान कर दिया गया है। पिछली सुनवाई की तिथि 15.07.2019 थी।	
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	76/2019	राम बचन सिंह, सहायक अभियन्ता	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य	2136/2018	ए०सी०पी० के संबंध में	—	प्रमुख अभियन्ता (ई-2) ने अपने पत्र संख्या-1480/ई-2./ए०सी०पी० दिनांक-03.05.2019 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि प्रकरण का परीक्षण वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ से कराया गया। श्री राम बचन सिंह की विभाग में तदर्थ नियुक्ति की गयी थी। इन्हें दिनांक-22.03.1983 को अवर अभियन्ता के पद विनियमित किया गया। इन्हें समय मान वेतन मान तदर्थ सेवा को नियमित सेवा में जोड़कर दिये गये हैं, जो शासनादेशों के विरुद्ध है। प्रकरण में पिछली सुनवाई की तिथि 12.07.2019 नियत थी।	
मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर।									
4	बैराज निर्माण मण्डल कानपुर	413/2014	अशोक कुमार शर्मा से०नि० मुख्य अभियन्ता	—	326/2014	सेवा सम्बन्धी	—	अधि० अभि० द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अशोक कुमार शर्मा से०नि० मुख्य अभियन्ता द्वारा नोशनल प्रोन्नत हेतु वाद संख्या-326/2014 एवं अवमाननावाद संख्या-413/2014 में पारित निर्णय के अनुसार अपील किये जाने हेतु प्रकरण न्याय अनुभाग में है अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।	

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	सिंचाई कार्य मण्डल इटावा	359/2017	बालेश्वर त्यागी	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव (सिंचाई) एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा प्रमुख अभियन्ता	-	सेवा सम्बन्धी	-	वाद संख्या-359/2017 बालेश्वर त्यागी बनाम श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव (सिंचाई) एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा प्रमुख अभियन्ता में मा० लोकसेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालना कर दी गयी है सुनवाई की तिथि से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु अधि०अभि० एवं पैरोकार सिंचाई खण्ड औरैया, को निर्देशित कर दिया गया है।	

मुख्य अभियन्ता (शारदा) बरेली।

6	लखनऊ खण्ड-2, शा०न०, लखनऊ।	116/2019	दिनेश सिंह सचान	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	830,831,832/20018	प्रोन्नति के सम्बन्ध में	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं	प्रकरण शासन/विभाग में विचाराधीन है	सिं० अनु-2,
7	उन्नाव खण्ड, शा०न०, उन्नाव	163/सी/19	विवेक सिंह	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	1186/2018	-	-	शासन द्वारा अभी तक कोई पत्रावली/अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।	
8	उन्नाव खण्ड, शा०न०, उन्नाव	164/सी/19	विवेक सिंह	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	1187/2018	-	-	शासन द्वारा अभी तक कोई पत्रावली/अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।	

मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।

9	सिंचाई खण्ड-2, देवरिया	100/2019	नबीउल्लाह खँ बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	श्री हरिनारायण ओझा, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड-2, देवरिया	1149/2011	नहीं	-	-	-
---	------------------------	----------	---------------------------------------	---	-----------	------	---	---	---

मुख्य अभियन्ता सरयू द्वितीय, गोण्डा।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	स0न0ख-5 गोण्डा	118/2014	गिरधर गोपाल	बनाम श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	139/2010	श्रम न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी को रू0-116291.00 के भुगतान का आदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा कटौती की राशि तथा 8 प्रतिशत व्याज के भुगतान के आदेश दिये गये हैं अनुपालन न होने के कारण तत्कम में वादों द्वारा अवमाननावाद योजित किया गया है।	आख्या दाखिल की जानी है।	वादी से वसूली की गयी धनराशि रू0-116291.00 में से उनके अंश रू0-31841.00 की धनराशि की वसूली का समायोजन करते हुए शेष धनराशि का 08 प्रतिशत व्याज के साथ भुगतान सर्वेक्षण अनुसंधान लखनऊ द्वारा किया जाना है। व्याज के भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। धनराशि रू0-84450.00 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। अगली तिथि निर्धारित नहीं है।	

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)